सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 20, गुरूवार, शाके 1947- सितम्बर 11, 2025
Bhadra 20, Thursday, Saka 1947- September 11, 2025

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 22, 2025

संख्या जविप्रा/उपा-7/2025/डी-1645 :-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित तोपखानादेशगृ.नि.स.स.लि. कीयोजनानेमीसागरकॉलोनीकेभूखण्डसंख्या 330एक्षेत्रफल 494.62 वर्गगज जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025व जोनल विकास योजना-04 के अनुसार व्यावसायिक दर्शाया गया है, का आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित किये जाने बाबत् अधिसूचना दिनांक 11.01.2025 द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। जिसमें 15 दिवस की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। प्रकरण में भू-उपयोगपरिवर्तन किये जाने की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपान्तरण

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (1) के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित तोपखानादेशगृ.नि.स.स.लि. कीयोजनानेमीसागरकॉलोनीकेभूखण्डसंख्या 330एक्षेत्रफल 494.62 वर्गगज जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025व जोनल विकास योजना-04 के अनुसार व्यावसायिक दर्शाया गया है, का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर प्लान-2025 के अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जाता है।

यह अधिसूचना आज दिनांक 22.08.2025 को जारी की गई।

निशान्त जैन,
सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।